

IBDF URGES TRAI TO PAUSE 12-MINUTE AD

The Indian Broadcasting & Digital Foundation (IBDF) has requested the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) to defer enforcement of the 12-minute-per-hour television advertising cap, citing that the matter is sub judice. The final arguments in the case are scheduled before the Supreme Court on January 27.

Sources said news broadcasters have supported IBDF's stance in their individual responses to TRAI. However, the regulator has emphasized that broadcasters must comply with the current rules until a court issues a formal order. TRAI, following a meeting with broadcasters after issuing show-cause notices in November for alleged violations, reiterated that the pending judicial review does not suspend the applicability of the regulation.

The long-dormant 12-minute cap, frozen for over a decade, has resurfaced with TRAI issuing more than 250 notices to enforce compliance. Broadcasters warn that implementing the cap now could disrupt linear TV economics, already under pressure from declining ad revenues, rising content costs, and a migration of audiences to digital and free-to-air platforms. Industry leaders have called for a measured approach, noting that exceeding the cap in some hours does not indicate uniform violation across all programming.

TV9 NETWORK DISMISSES PROMOTER EXIT SPECULATION

TV9 Network has firmly denied reports claiming its promoters are planning an exit from the media group.

In an official statement, the network said, "TV9 Network remains fully committed to its vision and ongoing operations. The information being circulated should not be considered accurate." The statement



आईबीडीएफ ने ट्राई से 12 मिनट के विज्ञापन पर रोक लगाने का आग्रह किया

इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ) ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) से प्रति घंटे 12 मिनट के टेलीविजन विज्ञापन की सीमा को लागू करने में देरी करने का अनुरोध किया है, यह कहते हुए कि मामला अभी कोर्ट में है। इस मामले में अंतिम बहस 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होनी है।

सूत्रों ने बताया कि न्यूज प्रसारकों ने ट्राई को दिये गये अपने अलग-अलग जवाबों में आईबीडीएफ के रुख का समर्थन किया है। हालांकि, रेगुलेटर ने इस बात पर जोर दिया है कि जब तक कोर्ट कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं करता, तब तक प्रसारकों को मौजूदा नियमों का पालन करना होगा। नवंबर में कथित उल्लंघनों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद प्रसारकों के साथ एक मीटिंग के बाद ट्राई ने दोहराया कि लंबित न्यायिक समीक्षा रेगुलेशन की लागू होने की स्थिति को निलंबित नहीं करती है।

लंबे समय से बंद 12 मिनट की लिमिट, जो एक दशक से ज्यादा समय से रूकी हुई थी, अब ट्राई द्वारा नियमों का पालन करवाने के लिए 250 से ज्यादा नोटिस जारी करने के बाद सामने आयी है। प्रसारक चेतावनी दे रहे हैं कि अब इस लिमिट को लागू करने से लीनियर टीवी की इकोनॉमी खराब हो सकती है, जो पहले से ही विज्ञापन से होने वाली कमी, कंटेंट की बढ़ती लागत, और दर्शकों के डिजिटल और फ्री-टू-एयर प्लेटफॉर्म में जाने से दबाव में है। उद्योग ने सोच समझकर कदम उठाने की बात कही है, यह देखते हुए कि कुछ घंटों में लिमिट पार करने का मतलब यह नहीं है कि सभी कार्यक्रम में एक जैसा उल्लंघन हुआ है।

टीवी 9 नेटवर्क ने प्रमोटरों के बाहर निकलने के अटकलों को खारिज किया

टीवी 9 नेटवर्क ने उन रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि प्रमोटर मीडिया गुप से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं।

एक आधिकारिक बयान में, नेटवर्क ने कहा कि 'टीवी9 नेटवर्क अपने विजन और चल रहे संचालन के लिए पूरी तारह प्रतिबद्ध है। जो जानकारी फैलाई जा रही है उसे सही नहीं माना जाना चाहिए।'



clarified that there has been no change in promoter involvement or strategic direction.

TATA PLAY VS CULVER MAX: TDSAT SETS FINAL HEARING

The Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) has extended interim relief for Tata Play, maintaining the stay on the ₹128.42 crore demand raised by Culver Max (Sony Pictures). The tribunal has scheduled the final hearing for February 2026.

The dispute began in May 2025, when Tata Play removed 25 Sony channels from its DTH packs citing contractual issues. Culver Max alleged this violated interconnection agreements and TRAI regulations. Earlier, TDSAT restricted the broadcaster from displaying static images or scrolls against Tata Play, while allowing limited clarifications on social media.



MIB CANCELS 1,117 MSO REGISTRATIONS

The Ministry of Information and Broadcasting (MIB) has cancelled registrations of 1,117 Multi-System Operators (MSOs), reducing the number of active MSOs to 787. Reasons include non-compliance, late submissions, failure to secure security clearance, and incomplete documentation. Industry experts believe this move will enhance regulatory compliance and improve service quality, sending a strong message about adherence to regulatory frameworks.



JIOSTAR REAFFIRMS ICC MEDIA RIGHTS PARTNERSHIP IN INDIA

JioStar and the International Cricket Council (ICC) have dismissed speculation about JioStar exiting their media rights agreement. Both organisations confirmed the 2024-2027 contract remains fully in force, with JioStar continuing as the ICC's official media rights partner in India. ■



वयान में यह साफ किया गया है कि प्रमोटर्स की भागेदारी या स्ट्रेटेजिक दिशा में किया बदलाव नहीं हुआ है।

टाटाप्ले बनाम कल्वर मैक्स

टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेंट ट्रिब्यूनल (टीडीसेट) ने टाटा प्ले को अंतरिम राहत दी है, और कल्वर मैक्स (सोनी पिक्चर्स) द्वारा मांगे गये 128.42 करोड़ रुपये पर रोक बरकरार रखी है। ट्रिब्यूनल ने अंतिम सुनवाई फरवरी 2026 के लिए तय की है।

यह विवाद मई 2025 में शुरू हुआ, जब टाटा प्ले ने कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मुद्दों का हवाला देते हुए अपने डीटीएच पैक से 25 सोनी चैनल को हटा दिये। कल्वर मैक्स ने आरोप लगाया कि इससे इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट और ट्राई के नियमों का उल्लंघन हुआ है। इससे पहले टीडीसेट ने प्रसारक को टाटा प्ले के खिलाफ स्टैटिक इमेज या स्कॉल दिखाने से रोक दिया था, जबकि सोशल मीडिया पर सीमित स्पष्टीकरण की अनुमति दी थी।

एमआईबी ने 1117 एमएसओ के लाइसेंस रद्द किये

सूचना व प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने 1117 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिये हैं, जिससे एक्टिव एमएसओ की संख्या घटकर 787 रह गयी है। इसके कारणों में नियमों का पालन न करना, देर से सबमिशन, सुरक्षा मंजूरी हासिल करने में विफलता और अधूरे दस्तावेज शामिल हैं। उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से रेगुलेटरी नियमों का पालन बेहतर होगा और सेवा की क्वालिटी में सुधार होगा, जिससे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पालन करने के बारे में एक कड़ा संदेश जायेगा।

जियोस्टार ने भारत में आईसीसी मीडिया अधिकार पार्टनरशिप की फिर से पुष्टि की

जियोस्टार और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने मीडिया अधिकार अनुबंध से जियोस्टार के बाहर निकलने की अटकलों को खारिज कर दिया है। दोनों संगठनों ने पुष्टि की है कि 2024-2027 का कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से लागू है और जियोस्टार भारत में आईसीसी का आधिकारिक मीडिया अधिकार भागीदार बना रहेगा। ■